

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3450

सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

लॉकडाउन के बाद कामगारों को पुनः रोजगार देना

3450. श्री मलूक नागर:

श्री अशोक कुमार रावत:

श्री कनकमल कटारा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले संगठित/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/कामगारों की संख्या क्या है;
- (ख) संगठित/असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार हुए श्रमिकों और सभी कामगारों को पुनः रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार की कोई योजना है;
- (ग) क्या सरकार ने उनकी वास्तविक संख्या के निर्धारण के लिए कोई सर्वेक्षण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र में साल-दर-साल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विनियमित करने तथा उन्हें संगठित क्षेत्र के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (च) उन असंगठित क्षेत्रों में जहां श्रम ब्यूरो द्वारा पाक्षिक आधार पर सर्वे किया जा रहा है, रोजगार के अवसर सृजन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (छ) कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों से लौटने वाले अप्रवासी श्रमिकों के पुर्नवास, कल्याण और नियोजन के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे अप्रवासी श्रमिकों की पहचान करने तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): कोविड-19 महामारी ने संगठित/असंगठित कामगारों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत, नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया गया था, ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

पीएम-स्व-निधि योजना ने कोविड पश्च अवधि के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

सरकार ने एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

(ग) से (घ): रोजगार/बेरोजगारी पर आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जा रहे हैं। देश में विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार में परिवर्तन को समझने के लिए अखिल भारतीय त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) आयोजित करने का कार्य, श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय, श्रम ब्यूरो को सौंपा गया है।

मंत्रालय, असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए, आधार से जुड़ा असंगठित कामगारों हेतु राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) पोर्टल भी विकसित कर रहा है।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं जैसे जीवन और अपंगता कवर प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ हेतु 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई), पेंशन के माध्यम से वृद्धावस्था संरक्षण के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना और व्यापारियों तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस-व्यापारी) के लिए मार्च, 2019 में शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए अनेक बातें शामिल हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) को समर्थन देने के लिए अपनी फ्लैगशिप योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित लौटने वाले प्रवासी कामगारों के नए कौशल (अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)) और अपस्किलिंग (पूर्व सीखने के मान्यता (आरपीएल)) के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किया है। इस विशेष कार्यक्रम में 6 राज्यों नामतः असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों को शामिल किया गया है। एमएसडीई ने जिला प्रशासन के सहयोग से वापसी करने वाले प्रवासियों की कौशल मैपिंग की है और पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण के लिए लाभार्थियों की पहचान की है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 की पृष्ठभूमि में गंतव्य राज्यों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्शी दिशानिर्देश जारी किए थे। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे प्रवासी कामगारों के अद्यतन डेटा को बनाए रखें ताकि प्रशासन को ऐसे कामगारों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का विस्तार करने में सुविधा हो।

मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996 के तहत बीओसी श्रमिकों के बैंक खातों में धन के हस्तांतरण के लिए एक योजना तैयार करने का परामर्श भी दिया गया था। इसके जवाब में, कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान 1.83 करोड़ बीओसीडब्ल्यू कामगारों को 5618 करोड़ रुपये वितरित किए गए और दूसरी लहर के दौरान 1.23 करोड़ कामगारों को 1795 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों सहित निर्धनों को मुफ्त खाद्यान्न, मुफ्त गैस सिलेंडर, सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में वित्तीय सहायता के हस्तांतरण आदि प्रावधानों के माध्यम से भी कई उपाय किए हैं।
